कार्यालय : जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ ।

:: आवश्यक सूचना ::

विभागीय संकल्प संख्या 3027 दिनांक 14 दिसम्बर 2015 तथा राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के आलोक में कार्यालय के पत्रांक 821 दिनांक 25.05.2018 के द्वारा जिले के सभी राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिकाओं से विहित प्रपत्र में सूचना तथा उससे संबंधित अभिलेख / कागजात की माँग की गयी थी। संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त सूचना का डाटावेस तैयार किया गया है, जिसे www.seraikela.nic.in के बेबसाईट पर अपलोड करते हुए सूचना प्रकाशित की जा रही है। संबंधित शिक्षक / शिक्षिका से उक्त सूची की प्रवृष्टियों पर यदि कोई आपत्ति है तो एक सप्ताह के अन्दर साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। औपबंधिक मास्टर वरीयता सूची संबंधित प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के मेल पर भी भेजा जा रहा है।

संबंधित शिक्षक / शिक्षिका को अपनी वरीयता के संदर्भ में यदि कोई आपत्ति है तो वे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के एक सप्ताह के अन्दर अपनी दावा/आपत्ति साक्ष्य के साथ दर्ज करा सकते है। निर्धारित अवधि तक यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो समझा जायेगा कि अपनी वरीयता के संदर्भ में किसी को कुछ नहीं कहना है और तद्नुसार विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति (ग्रेड-03 को छोड़कर) की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जायेगी। ग्रेड-03 में प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची अलग से प्रकाशित की जायेगी।

11/06/18

जिला शिक्षा अधीक्षक
सरायकेला-खरसावाँ।
11/06/18